

गहेन्द्रसिंह उर्फ छोटूसिंह बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 46/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/247

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रार्थी 1. के आधार कार्ड नम्बर 4538 9537 8610 में प्रार्थी का नाम छोटू सिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार महेन्द्रसिंह के स्थान पर छोटू सिंह किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकॉर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा राजोद के खाता संख्या 321 में दर्ज महेन्द्रसिंह के स्थान पर छोटू सिंह दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश: : —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा राजोद के खाता संख्या 321, में दर्ज नाम महेन्द्रसिंह के स्थान पर छोटू सिंह दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 28.11.24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



(अभिहित)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)